न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. हरमन सिंह पुत्र श्री गुरप्रीत सिंह उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता जसप्रीत कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी 25 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. हर्षदीप कौर पुत्री गुरप्रीत सिंह उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता जसप्रीत कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी 25 जी.बी.तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थीगण....

बनाम

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 25 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

उपस्थिति - 1. श्री प्रेम सिंह सैनी, बक्शीश सिंह थिन्द वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 20/2020 **निर्णय दिनांक - 24/02/2021**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थीगण के द्वारा जरिये कुदरती वली उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 25 जी.बी. का मु.नं. 39 प.नं. 167/421 का किला नं. 16, 17, 18/1 का 0.633 है., प.नं. 169/425 मु.नं. 57 का किला नं. 14 ता 18, 19/1 का 1.290 है. कुल 1.923 है. में से 1/2 हिस्सा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 का खाता संख्या 66 में दर्ज है एवं चक 25 जी.बी. का मु.नं. 39 प.नं. 167/421 का किला नं. 13/2, 14, 15 का 0.633 है. में से 253/633 हिस्सा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 का खाता संख्या 29 में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा निरंजन सिंह से प्राप्त हुई है जो कि जद्दी जायदाद है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। जिसे प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के जीवन काल में ही प्राप्त करने का अधिकारी है। एवं इसके लिए अनवानी वाद लाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री है व उक्त जद्दी जायदाद में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा जन्म से ही बनता है जिसके प्रार्थीगण स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित

लगातार.....2

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

करवाने के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि जद्दी जायदाद होने से प्रार्थीगण का इसमें जन्म से ही हक व हिस्सा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 नशा करने का आदी है जो कि नशा व अपनी अन्य विलासिताओं में ही विलीन रहता है जिस कारण से प्रार्थीगण ही उक्त भूमि की सार सम्भाल कर रहे है एवं उपरोक्त भूमि को हिस्सा/ठेका आदि पर देकर काश्त करवाता है एवं उक्त भूमि को अपना मानते हुए इसमें अथाह धन व परिश्रम खर्च कर इसे संवारा सुधारा व कृषि योग्य बनाया है। जिस कारण से प्रार्थीगण के द्वारा किये गये सुधारो से भूमि की किस्म में सुधार हो गया है व कीमतो में आशातीत वृद्धि हो चुकी है। जिस कारण से अप्रार्थी संख्या 1 के मन में उपरोक्त भूमि को देखकर लालच व बेईमानी आ गई है तथा उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्सा से प्रार्थीगण को महरूम व बेदखल जबरन करने की नियत से उपरोक्त भूमि को अपने नाम से दर्ज होने मात्र का नाजायज लाभ उठाते हुए उक्त भूमि को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने पर आमादा होते हुए उपरोक्त भूमि का विक्रय प्रस्ताव करने प्रारम्भ कर दिये है। जिसके अनुक्रम में आज से एक सप्ताह पूर्व कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर अप्रार्थी संख्या 1 भूमि में आया व भूमि दिखाकर विक्रय प्रस्ताव करने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में अपना 2/3 हिस्सा होना वताते हुए भूमि विक्रय करने से इनकार कर दिया जिस पर वे लोग एक बार तो वहां से चले गये जिस पर प्रार्थीगण ने मौतबीरान व्यक्तियों को एकत्र कर एक पंचायत दिनांक 28/06/2020 को ग्राम 25 जी.बी. में की व अप्रार्थीगण को उपरोक्त जद्दी जायदाद में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा भूमि को प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने एवं बिना प्रार्थीगण का हिस्सा प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाये भूमि को विक्रय नहीं करने का कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानियां कहा कि वह भूमि रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए किसी गुण्डा प्रवृति व्यक्ति को रहन विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर जबरन भूमि पर काबिज कर देगा व प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हक व हिस्सा से महरूम व बेदखल जबरन कर देगा बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि अप्रार्थी अपने उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्यो में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपने हक वा हिस्सा की भूमि से महरूम एवं बेदखल जबरन होना पडेगा जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों का जनन होगा एवं प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा चूंकि उक्त भूमि ही प्रार्थी के पास आय का एक मात्र साधन है। उपरोक्त भूमि या इसके किसी भाग को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित किये जाने पर तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा, मुकदमाबाजी बढेगी, काश्त आदि में भारी असुविधा होगी एवं न्याय में अनावश्यक विलम्ब होगा जबकि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने पर उसके हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि से चक 25 जी.बी. का मु.नं. 39 प.नं. 167/421 का किला नं. 16, 17, 18/1 का 0.633 है., प.नं. 169/425 मु.नं. 57 का किला नं. 14 ता 18, 19/1 का 1.290 है. कुल 1.923 है. में से 1/2 हिस्सा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077

लगातार............3

Prinkar
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

का खाता संख्या 66 में दर्ज है एवं चक 25 जी.बी. का मु.नं. 39 प.नं. 167/421 का किला नं. 13/2, 14, 15 का 0.633 है. में से 253/633 हिस्सा यानि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज कुल 1.215 है. जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उक्त भूमि या इसके किसी भाग को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से बाज व ममनू रहे व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बाद सूचना उपस्थित नहीं आया। जिसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। निष्कर्ष रूप में यह पाया कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक 25 जी.बी. का मु.नं. 39 प.नं. 167/421 का किला नं. 16, 17, 18/1 का 0.633 है., प.नं. 169/425 मु. नं. 57 का किला नं. 14 ता 18, 19/1 का 1.290 है. कुल 1.923 है. में से 2/3 हिस्सा भूमि एवं चक 25 जी.बी. का मु.नं. 39 प.नं. 167/421 का किला नं. 13/2, 14, 15 का 0.633 है. में से 253/633 हिस्सा भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है उक्त भूमि का 2/3 हिस्सा वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थी विवादित भूमि का बेचान नहीं करे इस आश्य का अस्थाई स्थगन आदेश जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner